



कार्यालय वनमंडलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल, रतलाम
सागोद रोड़, रतलाम (म.प्र.)



टेलीफ़ैक्स नं. (07412) 270418

E-mail Address - dfotrtlam@mp.gov.in

क्रमांक/मा.चि./2023/ 744
प्रति,

रतलाम, दिनांक : 01-02-2023

कार्यपालन यंत्री
लोक निर्माण विभाग
संभाग रतलाम

- विषय :-** रतलाम जिले में रतलाम-मोरवानी-उमर-रावटी-बाजना मार्ग चौड़ीकरण/उन्नयन हेतु 4.977 हेक्टेयर वनभूमि लोक निर्माण विभाग संभाग रतलाम को उपयोग पर देने बाबत।
- संदर्भ :-** भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल का पत्र क्रमांक/6-MPB004/2022-BHO दिनांक 16-02-2023 एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू-प्रबंध) म.प्र. भोपाल के पत्र क्रमांक/एफ-5/1087/2021/10-11/784 दिनांक 21-02-2023 एवं कार्यालयीन पत्र क्रमांक/मा.चि./2023/704 दिनांक 24-02-2023

-0-

विषयांकित सन्दर्भ की छायाप्रति सलंगन कर लेख है कि भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल द्वारा रतलाम-मोरवानी-बाजना मार्ग चौड़ीकरण/उन्नयन कार्य हेतु 4.977 हेक्टेयर वन भूमि उपयोग पर दिये जाने हेतु प्रथम चरण की सैद्धांतिक स्वीकृति पत्र में उल्लेखित शर्तों का पालन प्रतिवेदन बिन्दुवार तैयार कर निम्नानुसार राशि कैम्पा मद में जमा करावे। संदर्भित कार्यालयीन पत्र में टंकन त्रुटी होने से संशोधित मांग पत्र निम्नानुसार है :-

- 01 ग्राम शेरपुर तहसील पिपलौदा भूमि सर्वे नम्बर 858 रकबा 4.977 हेक्टेयर में क्षतिपूर्ति रोपण कार्य हेतु राशि 40,00,000 (अक्षरी रूपये चालीस लाख मात्र) केम्पा मद में जमा करे।
- 02 नेट प्रजेण्ट वैल्यू राशि ओपन फारेस्ट 9,57,780/- रूपये प्रति हेक्टेयर के मान से 47,66,871/- (अक्षरी रूपये सेतालिस लाख छछट हजार आठ सौ इकोत्तर मात्र) केम्पा मद में जमा करावें।

इस प्रकार कुल राशि 87,66,871/- रूपये (अक्षरी रूपये सीतयासी लाख छछट हजार आठ सौ इकोत्तर मात्र) फारेस्ट विलयरेन्स की बेवसाईट पर ऑनलाईन राशि कैम्पा मद में जमा करावे तथा ट्रांजेक्शन क्रमांक/यु.टी.आर, क्रमांक/दिनांक से इस कार्यालय को ई-चालान प्रति सहित मय वचन पत्र के पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करे ताकि प्रकरण में द्वितीय औपचारिक स्वीकृति हेतु आगामी कार्यवाही की जा सके।

सलंगन:- उपरोक्तानुसार।

वन संरक्षक एवं
पदेन वनमण्डलाधिकारी
रतलाम

रतलाम, दिनांक : 01-02-2023

क्रमांक/मा.चि./2023/ 745
प्रतिलिपि :-

- 01 प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) म.प्र. भोपाल की ओर सूचनार्थ।
- 02 अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक उज्जैन वृत्त उज्जैन की ओर सूचनार्थ।

वन संरक्षक एवं
पदेन वनमण्डलाधिकारी
रतलाम